

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 496
28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
बंगलौर मेट्रो परियोजना की स्थिति

496. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर मेट्रो परियोजना के निष्पादन, इसमें हुए कुल विलंब, इसके प्रचालनात्मक चरणों, इसके विस्तार और मार्ग खंडों को अंतिम रूप से शुरू किए जाने की अनुमानित समय-सीमा क्या है तथा बीएमआरसीएल द्वारा परियोजना के निष्पादन में कुल औसत विलंब समय कितना है;

(ख) क्या सरकार ने बीएमआरसीएल डीएमआरसीएल, चेन्नई, हैदराबाद आदि जैसे मेट्रो संगठनों के कार्यकरण की जांच करने के लिए किसी पैनल का गठन किया है और यदि हां, तो ऐसे पैनलों के कार्य क्या है तथा इनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बीएमआरसीएल द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब से चिंतित है और यदि हां, तो अधिक जवाबदेही के साथ कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने बीएमआरसीएल जैसे संगठनों को पिछली गलतियों से सीख लेने अथवा दिल्ली जैसे अन्य मेट्रो के सफल मॉडलों का अनुकरण करने की सलाह दी है और यदि हां, तो ऐसे निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीएमआरसीएल के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): केन्द्र सरकार द्वारा 11.05.2006 और 21.01.2010 को चरणबद्ध रूप में स्वीकृत की गई 42.3 किलोमीटर लंबी बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना चरण-I वर्तमान में पूरी तरह से चालू है और 21.02.2014 को चरण-II में स्वीकृत की गई 72 किलोमीटर लंबी मेट्रो बंगलौर शहर में

आंशिक रूप से चालू है। बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना के चरण-I और चरण-II के संबंध में समय-सीमा, परिचालन और खंडों के चालू होने का विवरण इस प्रकार है:

| चरण | खंड | पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि | चालू होने की तिथि | लम्बाई (किमी में) |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| बैंगलोर मेट्रो चरण I - 42.3 किमी | बैयप्पनहल्ली से एमजी रोड | जून, 2012 | 20.10.2011 | 6.7 |
| | पीन्या गांव से सम्पीगे रोड | | 01.03.2014 | 10.3 |
| | पीन्या गांव से नागासंद्रा | | 01.05.2015 | 2.5 |
| | मगदी रोड से नयनदनहल्ली | | 16.11.2015 | 6.5 |
| | कब्बन पार्क से सिटी रेलवे स्टेशन | | 29.04.2016 | 4.8 |
| | मंत्री स्क्वायर संपीगे रोड से येल्लेनहल्ली | | 17.06.2017 | 11.5 |
| कुल | | | | 42.3 |
| बैंगलोर मेट्रो चरण II - 72 किमी | येल्लेनहल्ली से सिल्क इंस्टिट्यूट | मार्च, 2021 | 14.01.2021 | 6.12 |
| | मैसूर रोड स्टेशन से कैंगेरी स्टेशन | | 29.08.2021 | 7.53 |
| | के.आर.पुरा से व्हाइटफील्ड | | 25.03.2023 | 13.71 |
| | कृष्णराजपुरा से बैयप्पनहल्ली | | 09.10.2023 | 2.1 |
| | कैंगेरी से चल्लघट्टा | | 09.10.2023 | 2.05 |
| | नागासंद्रा से मदावारा | | 07.11.2024 | 3.14 |
| कुल | | | | 34.65 |

(ख) से (ड): परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण, अदालती मामलों के निपटारे आदि से संबंधित कई बाह्य कारकों पर निर्भर होता है। परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:

- (i) 50:50 इक्विटी मॉडल के तहत मेट्रो रेल परियोजनाओं को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार जैसे डीएमआरसी, बीएमआरसीएल आदि के संयुक्त उद्यम विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना को भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच 50:50 इक्विटी मॉडल के तहत बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (बीएमआरसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह कंपनी बोर्ड द्वारा संचालित कंपनी है, जिसमें केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व है। इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से बीएमआरसीएल बोर्ड द्वारा की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न मंचों पर मेट्रो रेल कंपनियों के बीच सर्वोत्तम कार्यों को नियमित रूप से साझा किया जाता है।

(ii) केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर मेट्रो परियोजनाओं की निगरानी की नियमित प्रगति के अलावा, कर्नाटक के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियमित आधार पर परियोजना की प्रगति की निगरानी करती है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति भूमि अधिग्रहण, परियोजना संरेखण में अवसंरचनाएं और अन्य संरचनाओं के स्थानांतरण, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास, मल्टीमॉडल एकीकरण और इस प्रकार के अन्य मामलों पर शीघ्र निर्णय लेती है, जहां राज्य सरकार को परियोजना के हित में शीघ्र कार्रवाई की सहायता प्रदान करनी होती है।
